



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 27 अगस्त, 2012 ई0

भाद्रपद 05, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

संख्या 378/12-XIX-2/01 रा0आ0/2007

देहरादून, 27 अगस्त, 2012

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0-82

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और जिला फोरम कर्मचारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

और जिला फोरम कर्मचारी सेवा नियमावली, 2012

भाग - एक - सामान्य

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

1. (एक) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और जिला फोरम कर्मचारी सेवा नियमावली, 2012 है।

- (दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आ और जिला फोरम) कर्मचारी सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह के पद समाविष्ट हैं।
- परिभाषायें 3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो नियमावली में:-
- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निबन्धक, राज्य आयोग अभिप्रेत है;
- (ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जा
- (ग) "संविधान" से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;
- (घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (ङ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
- (च) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियामवली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (छ) "सेवा से उत्तराखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग और जिला फोरम) कर्मचारी सेवा अभिप्रेत है;
- (ज) "राज्य आयोग" से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है ;
- (झ) "जिला फोरम" से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम अभिप्रेत है;
- (ञ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में से किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;
- (ट) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग - दो - संवर्ग

- सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या परिशिष्ट- 'क' के अनुसार होगी।

परन्तु यह कि—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे।

(तीन) राज्य आयोग और जिला फोरम के कर्मचारियों के लिए पृथक-पृथक संवर्ग होंगे और वे अंतर स्थानान्तरणीय नहीं होंगे। जिला फोरमों के कर्मचारी जिलों में अन्तर स्थानान्तरणीय होंगे।

भाग — तीन — भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:—

(क) निजी सचिव— मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायकों में से जिन्होंने उक्त पद पर भर्ती के वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ख) वैयक्तिक सहायक— मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम तिथि को 12 से 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ग) प्रशासनिक अधिकारी— मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(घ) मुख्य सहायक— मौलिक रूप से नियुक्त प्रवर सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(ङ) प्रवर सहायक— मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(च) लेखाकार— मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकार में से जिन्होंने उक्त पद पर पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(छ) सहायक लेखाकार— सीधी भर्ती द्वारा।

(ज) आशुलिपिक— सीधी भर्ती द्वारा।

(झ) प्रवर सहायक— मौलिक रूप से जिला फोरमों में नियुक्त कनिष्ठ सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ञ) कनिष्ठ सहायक—

(एक) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 15 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण समूह "घ" के कार्मिकों में से, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा

(तीन) 10 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त इन्टरमीडिएट या उससे उच्च परीक्षा उत्तीर्ण समूह "घ" के कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2008 के नियम 6 के अनुसार परीक्षा, श्रेष्ठता एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग — चार — अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7. राजकीय सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) -तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और युनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंजानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले;

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक योग्यता

8.

सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक है:-

(1) कनिष्ठ सहायक

(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण।

(ख) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन (Key Depression) प्रतिघंटा की गति।

(2) (एक) आशुलिपिक (राज्य आयोग)

(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण।

(ख) आशुलेखन द्विभाषी (अंग्रेजी एवं हिन्दी) आशुलिपि अंग्रेजी में 100 तथा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर अंग्रेजी एवं हिन्दी टंकण में क्रमशः 5000 एवं 4000 की-डिप्रेशन (Key Depression) प्रतिघंटा की गति तथा एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है।

(2) (दो) आशुलिपिक (जिला फोरम)

(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके

समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण।

(ख) आशुलेखन हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा हिन्दी टंकण में 4000 की-डिप्रेषन (Key-depression) प्रतिघंटा की गति तथा एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है।

(3) सहायक लेखाकार

किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से वाणिज्य में लेखा शास्त्र विषय सहित स्नातक की उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेंसी की अर्हता के साथ कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल का सर्टिफिकेट जिसमें कम्प्यूटर पर 4000 KDPH की गति अनिवार्य है।

अधिमानी अर्हतायें

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) (NCC) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(3) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के वे पद जिनकी शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष है, के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष व वे पद जिनकी शैक्षिक अर्हता स्नातक है न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु सीमा उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन में या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12 सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-3 के अध्याय-3 में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग — पाँच — भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक एवं सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15. (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन-पत्र का प्ररूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन-पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा:-

(एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

(3) उप नियम (2) के अधीन रिक्तियाँ अधिसूचित करते समय आवेदन-पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(4) (एक) आशुलिपिक व कनिष्ठ सहायक के सीधी भर्ती के पदों पर चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा।

(ख) सहायक लेखाकार के पद पर चयन हेतु कुल 200 अंकों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ग) 200 अंकों की लिखित परीक्षा में से प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें सम्बन्धित पद की शैक्षिक अर्हता के स्तर व पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा।

(घ) द्वितीय प्रश्न पत्र कम्प्यूटर के 'ओ' -लेबल सर्टिफिकेट स्तर का कम्प्यूटर विषयक 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा।

(ङ.) प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु $\frac{1}{4}$ ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(च) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(छ) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ज) लिखित परीक्षा के पश्चात् उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वेबसाईट www.ua.nic.in या दैनिक समाचार पत्र में जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रदर्शित एवं प्रकाशित किया जायेगा,

(झ) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा के लिए 4000 (KDPH), आशुलिपिक परीक्षा के लिए आशुलिपिक अंग्रेजी में 100 तथा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति निर्धारित होगी। उक्त परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी उनको ही अंक दिये जायेंगे। आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। टंकण

परीक्षा या आशुलिपि परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व अन्य मूल्यांकनों के आधार पर प्रवीणता क्रम में बुलाया जायेगा।

(ज) यदि टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी सफल होते हैं तो श्रेष्ठता सूची तैयार कर उसके आधार पर परिणाम घोषित किया जायेगा।

(त) यदि टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में रिक्तियों की संख्या से कम अभ्यर्थी सफल होते हैं तो जितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उनकी नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। शेष रिक्तियों के लिए पुनः 1:4 के अनुपात में लिखित परीक्षा एवं अन्य मूल्यांकनों के आधार पर सारणीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की सूची में से टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा हेतु बुलाये जा चुके अभ्यर्थियों से आगे के अभ्यर्थियों को बुलाकर टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा करायी जायेगी तथा सफल अभ्यर्थियों का नियमानुसार चयन किया जाय। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक न्यूनतम गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी निर्धारित संख्या में प्राप्त न हो जायें।

(थ) यदि पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या 1:4 के अनुपात से कम हो तो ऐसी स्थिति में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए हों उन्हें टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा हेतु बुलाया जाय। इनमें से जो विहित न्यूनतम गति प्राप्त करें उन्हें अन्तिम श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। यदि कोई भी अभ्यर्थी न्यूनतम गति प्राप्त न कर सके व आगे भी कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में रिक्त पद को अग्नेनीत रखा जायेगा।

(5) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों, यथा स्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के अंकों का जोड़ होगा, के अंकों के कुल योग से जैसे प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों के बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधि (किन्तु 25 प्रतिशत से अनाधिक) होगी।

उपरोक्तानुसार तैयार प्रवीणता सूची संस्तुति सहित चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथोचित नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे।

अभ्यर्थियों द्वारा 15.1
प्राप्त अंक, सही
उत्तरों का प्रदर्शन
एवं प्रकाशन—

जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाये तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक व टंकण तथा आशुलिपि/टंकण परीक्षा में प्राप्त अंको का कुल योग व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड राज्य की शासकीय वेबसाइट पर, जनपद के जिला कार्यालय और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा तथा यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के अंको को वर्गीकृत करते हुए) अधिकतम अंक के साथ अवरोही क्रम में (Descending Order) उत्तराखण्ड राज्य की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

चयन समिति का 16.4
गठन

सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो) अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट नाम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य

(तीन) अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट नाम अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष	सदस्य
---	-------

द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न, कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

निजी सचिव,
वैयक्तिक सहायक,
प्रशासनिक
अधिकारी,
लेखाकार, मुख्य
सहायक, प्रवर
सहायक, कम्प्यूटर
ऑपरेटर/प्रवर
सहायक एवं
कनिष्ठ सहायक
के पद पर चयन
समिति के माध्यम
से पदोन्नति की
प्रक्रिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित "उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002" के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी, परन्तु यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक से सम्बन्धित व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं, तो ऐसी जातियां/जनजातियां और वर्गों जिसका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, से सम्बन्धित कोई अधिकारी जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो चयन समिति के सदस्य के रूप में भाग लेना निर्दिष्ट किया जायेगा।
- (2) पदोन्नति के पदों हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध लागू होंगे।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (4) चयन समिति, उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।
- (5) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

परन्तु यह कि उपनियम (1) के अधीन या इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करते समय, जहाँ दो भिन्न-भिन्न पोषक संवर्ग हों, वहाँ:-

- (क) भिन्न-भिन्न वेतनमानों के सम्बन्ध में उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।
 (ख) समान वेतनमानों के सम्बन्ध में पात्रता सूची में अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्गों में मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे।

नोट- आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति के लिए "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता' एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009" के प्रावधान लागू होंगे।

भाग - छ:- नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

संयुक्त चयन सूची 18. संयुक्त चयन सूची के निम्न सदस्य होंगे:-

- | | |
|---|---------|
| (एक) नियुक्ति प्राधिकारी | अध्यक्ष |
| (दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का नामित सदस्य। | सदस्य |
| (तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का सदस्य। | सदस्य |
| (चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित अर्हता क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाला नामित सदस्य। | सदस्य |

नियुक्ति

19. (1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 15, 16, 17 एवं 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों।
 (2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और उपनियम-(3) के अनुसार जब तक एक संयुक्त सूची नियम 18 के अनुसार तैयार न कर ली जाय।

- (3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।

परिवीक्षा

- 20 (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा निश्चित दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ाई जाय;

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

- (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या उसका धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
- (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनिमय (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गणना करने की अनुज्ञा दे सकता है।

स्थायीकरण

21

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

- (क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,
- (ख) सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और
- (ग) नियुक्त प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त हो।
- (घ) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण की हो।

ज्येष्ठता

22. (1) किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर उत्तराखण्ड सेवक ज्येष्ठता सरकारी नियमावली, 2002 के अनुसार की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं;

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा;

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

- (2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय;

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

- (3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

- (4) जहां नियुक्तियों पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक-पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त चयन सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे;

परन्तु यह कि—

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियों विहित कोटे से अधिक की जाती है वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हो, नीचे कर दी जायेंगी।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियों अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(तीन) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियां की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी है।

भाग - सात - वेतन इत्यादि

वेतनमान

23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान संलग्न परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है:-

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24. (1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

- (2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियम द्वारा विनियमित होगा।
- (3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग - आठ - अन्य उपबन्ध

- | | | |
|----------------------------|-----|--|
| पक्ष समर्थन | 25. | किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रमाण उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा। |
| अन्य विषयों का विनियमन | 26. | ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। |
| स्थानान्तरण | 27. | नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र/जनपदों में यथाआवश्यकता स्थानान्तरण किया जा सकता है। |
| सेवा की शर्तों में शिथिलता | 28. | जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह इस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को इस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। |
| व्यावृत्ति | 29. | इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो। |

परिशिष्ट- 'क'

(देखिए नियम 4(1) एवं 23(2))

शासनादेश सं० 1145/XIX/वि० ढांचा/06-132/2002 दिनांक 14 सितम्बर, 2006,
शासनादेश 135/08-XIX-2/05 खाद्य 2004 दिनांक, 13 मई, 2008 एवं 39/10-XIX-
2/05 खाद्य 2004 दिनांक, 20 जनवरी, 2011 द्वारा सृजित:-

राज्य आयोग

क्रम सं०	पदनाम	स्वीकृत पद
1	निजी सचिव	01
2	वैयक्तिक सहायक	02
3	प्रशासनिक अधिकारी	01
4	लेखाकार	01
5	मुख्य सहायक	01
6	सहायक लेखाकार	01
7	आशुलिपिक	01
8	प्रवर सहायक	01
9	कनिष्ठ सहायक	02
	योग	11

जिला फोरम

क्रसं०	पदनाम	स्वीकृत पद
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रवर सहायक	13
2	आशुलिपिक	13
3	कनिष्ठ सहायक	13
	योग	39

परिशिष्ट 'ख'

राज्य आयोग

क्रम सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड-वेतन
1	निजी सचिव	9300-34800	4200
2	वैयक्तिक सहायक	9300-34800	4200
3	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4200
4	लेखाकार	9300-34800	4200
5	मुख्य सहायक	5200-20200	2800

6	सहायक लेखाकार	5200-20200	2800
7	आशुलिपिक	5200-20200	2400
8	प्रवर सहायक	5200-20200	2400
9	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	1900

जिला फोरम

क्र. स	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड-वेतन
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रवर सहायक	5200-20200	2400
2	आशुलिपिक	5200-20200	2400
3	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	1900

आज्ञा से,
सुबर्द्धन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 378/XIX-2/01 State Commission/2007, Dehradun, dated August 27, 2012 for general information:

No. 378/XIX-2/01 State Commission/2007
Dated Dehradun, August 27, 2012

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of "The Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the condition of service of persons appointed to the Uttarakhand State Consumer Dispute Redressal Commission and District Forum Employee Service.

The Uttarakhand State Consumer Dispute Redressal Commission and District

Forum Employee Service Rules, 2012

Part-I-

General

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Short title and Commencement | 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand State Consumer Dispute Redressal Commission and District Forum Employee Service Rules, 2012.

(2) It shall come into force at once. |
| Status of the service | 2. The Uttarakhand State Consumer Dispute Redressal Commission and District Forum Employee Services is a such service of Minister cadre comprises of Group 'C' posts. |
| Definitions | 3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "Appointing Authority" means the Registrar, State Commission;

(b) "Citizen of India" means a person who is or deemed to be a Citizen of India under part-II of "the Constitution of India" ;

(c) "Constitution" means "the Constitution of India" ;

(d) "Government" means the State Government of Uttarakhand;

(e) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(f) "Member of Service" means a person appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a substantive post in the establishment;

(g) "Service" means Uttarakhand State Consumer Dispute Redress Commission and District Forum Employee Service;

(h) "State Commission" means Uttarakhand State Consumer Dispute Redress Commission ;

(i) "District Forum" means District Consumer Dispute Redressal Forum;

(j) "Substantive Appointment" means an appointment on a post in the service and which is not <i>an adhoc</i> appointment and is made in accordance with the rules and if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; |

- (k) **"Year of Recruitment"** means a period of twelve months commencing from the 1st day of July of calendar year.

Part – II

Cadre

- Cadre of Service** 4. (1) The strength of the service of each category of posts there in shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The strength of the service shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in the **Appendix "A"** :

Provided that-

- (i) the appointing authority may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without there by entitling any person to compensation;
- (ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper;
- (iii) the cadre for the State Commissions and District forum's employees shall be separate and they shall not inter transferable. The employees of the District forum shall be inter-transferable in district.

Part – III

Recruitment

- Source of Recruitment** 5. Recruitment to the various categorizes of posts in the service shall be made from the following sources :--
- (a) **Personal Secretary**-- by promotion on the basis of seniority rejection of unfit through the Selection Committee from amongst substantively appointed such Personal Assistants, who have completed at least 05 years of service as such on the first day of the year of recruitment;
 - (b) **Personal Assistant** - by promotion on the basis of seniority rejection of unfit through the Selection Committee from amongst substantively appointed such Stenographers, who have completed at least 12-15 years of service as such on the first day of the year of recruitment;

- (c) **Administrative Officer-** by promotion on the basis of seniority rejection of unfit through the Selection Committee from amongst substantively appointed such Senior Assistant who have completed at least 05 years of service as such on the first day of the year of recruitment;
- (d) **Senior Assistant-** by promotion on the basis of seniority rejection of unfit through the Selection Committee from amongst substantively appointed such Upper Assistant who have completed at least 05 years of service as such on the first day of the year of recruitment;
- (e) **Upper Assistant** – by promotion on the basis of seniority rejection of unfit through the Selection Committee from amongst substantively appointed such Junior Assistant who have completed at least 05 years of service as such on the first day of the year of recruitment;
- (f) **Accountant-** by promotion on the basis of seniority rejection of unfit through the Selection Committee from amongst substantively appointed such Assistant Accountant, who have completed at least 05 years of service as such on the first day of the year of recruitment;
- (g) **Assistant Account** – by direct recruitment;
- (h) **Stenographer-** by direct recruitment;
- (i) **Upper Assistant** – by promotion on the basis of seniority rejection of unfit through the Selection Committee from amongst substantively appointed such Junior Assistant in District Foras, who have completed at least 05 years of service as such on the first day of the year of recruitment;
- (j) **Junior Assistant**
 - (i) 75 percent by direct recruitment;
 - (ii) 15 percent by promotion according the Provisions of Subordinate Offices Ministerial Cadre Employees Services (Direct Recruitment) (Amendment) Rules, 2008 of personnel Department, on the basis of preferency from amongst substantively appointed such Personnel of group 'D', who have passed High School Examination and who have completed at least 05 years service as such on the first day of the year of recruitment;

- (iii) 10 percent by promotion according the Provisions of Subordinate Offices Ministerial Cadre Employees Services (Direct Recruitment) (Amendment) Rules, 2008 of personnel Department, on the basis of preferency from amongst substantively appointed such Personnel of group 'D', who have passed Intermediate Examination and who have completed at least 05 years service as such on the first day of the year of recruitment;

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Schedule Castes, Schedule Tribes and other categories to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Part - IV
Qualifications

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:-
- (a) a citizen of India; or
 - (b) the Tibetan refugee who came to India before Jan 1st 1962 with the intention of permanently settling in India; or
 - (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Yuganda and united Republic Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) and (c) above must be a person in whose favour a certificate of the eligibility has been issued by the State Government;

Provided further that a candidate belonging to category (b) will be required to obtain a certificate of eligibility granted by Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch Uttarakhand;

Provided also that if candidate belongs to category (c) no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and retention of such candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note :- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also provisionally appointed, subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

**Academic
Qualification**

8. A candidate for the post of Junior Assistant cum Computer operator and Stenographer for direct recruitment must be as follows :-

(1) Junior Assistant -

- (a) Passed Intermediate Examination of the Board of Uttarakhand Vidyalayee Shiksha Evam Pariksha Parishad, Ramnagar/ Uttar Pradesh, Madhyamik Shiksha Parishad;
- (b) Speed of 4000 KDPH in Hindi typing on computer.

(2) (i) Stenographer (State Commission)-

- (a) Passed Intermediate Examination of the Board of Uttarakhand Vidyalayee Shiksha Evam Pariksha Parishad, Ramnagar/ Uttar Pradesh, Madhyamik Shiksha Parishad or examination passed equivalent to recognized by the Government;
- (b) 100 in English stenography, stenographing bi-lingual (English and Hindi) and 80 words KDPH in Hindi and English on computer and speed of 5000 and 4000 KDPH respectively in Hindi typing and knowledge of M.S. Office must be compulsory.

(2) (ii) Stenographer (District Fora)-

- (a) Passed Intermediate Examination of the Board of Uttarakhand Vidyalayee Shiksha Evam Pariksha Parishad, Ramnagar/ Uttar Pradesh, Madhyamik Shiksha Parishad or examination passed equivalent to recognized by the Government;
- (b) 80 words KDPH in Hindi stenography and 4000 KDPH in Hindi typing and knowledge of M.S. Office must be compulsory;

(3) Assistant Accountant- Commerce with Accountancy subject from a University or any recognized Institution or Post Graduation Diploma in Accountancy with 'O' level certificate, which speed 4000 Key-Depression per hour on computer must be necessary.

- Preferential qualification** 9. A candidate, who has--
- (i) served in the territorial army service for a minimum period of two years;
 - (ii) obtained a "B" certificate in National Cadet Corps;
 - (iii) knowledge of English typing on computer;
- shall other thing being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.
- Age** 10. Such post, whose educational qualification is Intermediate or equivalent to, for the direct recruitment, the minimum age shall be 18 years and whose educational qualification is graduation shall be minimum 21 years and maximum 35 years :
- Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories to the State of Uttarakhand, as may be notified by the Government from time to time, shall be more by such number of years as may be specified.
- Character** 11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy him on this point.
- Note-** Persons dismissed by the Union Government or any State Government or by a local authority or any corporation or organization or body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.
- Marital Status** 12. A male candidate, who have more than one living wife or female candidate, who has married a men already having a living wife, shall not be eligible for appointment in the service;
- Provided that the Government may, if satisfied that there exists a specific ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
- Physical Fitness** 13. No candidates shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with efficient performance of his duties.

Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a Medical Board, as per provision of rules framed under the fundamental rule 10 of financial Hand Book Volume – II, part -III, Chapter –III :

Provided that the medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part – V

Procedure For Recruitment

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled in by direct recruitment during the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the other categories to the State of Uttarakhand under rule 6.

Procedure for direct recruitment to the post of Junior Assistant and Record Keeper (LDC), Stenographer and Assistant Accountant

15. (1) The application form for direct recruitment shall be published by the Appointing Authority, in at least two daily newspapers having wide circulation.
- (2) The Appointing Authority, shall invite the applications for direct recruitment, in the form published under sub-rule (1) and notify the vacancies in the following manner :-
- (i) by issuing advertisement in daily newspapers having wide circulation ;
 - (ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other employment newspapers ; and
 - (iii) by notifying the vacancies to the Employment Exchange.
- (3) The application form shall not be published again while notifying the vacancies under sub-rule (2);
- (4) (i) there shall be written objective type examination carrying 100 marks for selection of the posts of direct recruitment of Stenographer and Junior Assistant;
- (ii) (a) a single question paper shall be conducted which including General Hindi, General Knowledge and General Studies;
- (b) there shall be a written examination of objective type caring total 200 marks for the selection of the post of Assistant Accountant. Prefency list shall be prepared on the basis of total marks obtained in written examination and other evolution;

the basis of total marks obtained in written examination and other evolution;

- (c) first question paper carrying 100 marks out of 200 marks of written examination shall be objective type, which a question paper based on a level of educational qualification and syllabus of subject;
- (d) second question paper of objective type carrying 100 marks on computer, a level of 'O' level certificate;
- (e) in evaluation of question paper, one marks shall be awarded for each correct answer and 1/4 negative mark shall be awarded for each wrong answer;
- (f) after the examination is over the candidates shall be allowed to carry back the Question Booklet of the written examination with them;
- (g) the Answer Sheet of the written examination shall be duplicate including the carbon copy and the candidate shall be permitted to carry back the duplicate copy with him;
- (h) after the written examination, the answer key of the written examination shall be displayed on the Uttarakhand website www.ua.nic.in or published in daily newspaper having wide circulation :
- (i) the minimum speed fixed for typing shall be 4000 KDPH, 100 words per minuts for shorthand in english 80 words per minuts for shorthand in english, 80 words per minuts for shorthand in hindi for the candidates successfull in the written test.. The above examination shall carry 50 marks. The marks shall be awarded only to those candidates who have attained minimum prescribed speed. The number of candidates to be called for typewriting or shorthand and typewriting examination shall be four times the number of vacancies The candidates shall be called for the test in typing or shorthand in order of the merit based on marks obtained in written test and other evaluation.

- (j) if the number of successful candidates in the typewriting test is more than the vacancies, the result shall be declared on the basis of the merit list;
 - (k) if the number of successful candidates in the typewriting test is less than the vacancies, the proceeding for appointment of them shall be start. For the remaining vacancies typewriting test may be arranged for the next candidates already called for typewriting test from the list of the candidates arranged on the basis of the marks obtained in the written examination and other evaluations in the ratio of 1:4 and successful candidates may be selected in accordance with the rules. This process shall be continued till the prescribed number of candidates with minimum prescribed speed is available;
 - (l) in case ratio of the number of candidates, for the post is less than 1:4 all the candidates appeared for the written examination may be called for typewriting or shorthand and typewriting test. The candidates attaining minimum prescribed speed may be included in the final select list. In case none of the candidates is able to attain the minimum speed and no candidate is further available, the vacant post shall be carried forward.
- (5) The merit list (Final Selection List) shall be prepared in order of their proficiency the aggregate of marks, obtained in The written examination and other evaluations including preferential marks for the retrenched employee and the marks of typewriting examination or shorthand and typewriting examination, as the case may be. If two or more candidates obtained equal marks in aggregate, the candidate obtaining more marks in the written examination shall be placed higher in the selection list. In case two or more candidates obtained equal marks in the written examination also, the candidate senior in age shall be placed higher in the selection list. The number of the names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of vacancies.

The preference list prepared in the above manner shall be forwarded to the appointing authority with recommendation of the Selection Committee and the appointing authority shall issue appropriate appointment orders.

Publication and Exhibition of marks obtained by the candidate and correct answers 15. 1

When the selection process is completed and the select list has been forwarded to the Appointing Authority then the aggregate of marks obtained by the selected candidates in the test for selection and marks of typewriting or shorthand /typewriting shall be published in the daily newspapers and displayed on the official website of Uttarakhand and the notice board of the district office and office concerned. The aggregate of marks (classifying the marks obtained in written test and marks of typing and shorthand and typewriting as the case may be) along with maximum marks by all the candidates shall be the case published in the Uttarakhand website in descending order.

Constitution of Selection Committee 16.

The direct recruitment shall be made through a selection committee which comprises as follows :-

- (i) 'appointing authority' - **Chairman**
- (ii) any officer of Scheduled Castes or of Scheduled Tribes, nominated by the appointing authority. If the Chairman is belong to Scheduled Castes or Schedule Tribes. If the Chairman, is belong to Scheduled Castes or Schedule Tribes or Other Backward Classes then the Chairman shall nominate any officer other than Scheduled Castes, Schedule Tribes or Other Backward Classes — **Member;**
- (iii) any officer of Other Backward Classes nominated by the appointing authority. If Chairman is not belong to Other Backward Classes. If the Chairman is belong to Other Backward Classes, then the Chairman shall nominate any officer other than Scheduled Castes, Schedule Tribes or Other Backward Classes -- **Member;**

(iv) An Officer nominated by the District

Magistrate of the concerning District.

-- Member.

Procedure of promotion through a selection committee on the posts of Personal Secretary, Personal Assistant, Administrative Officer, Reader, Nazir, Computer Operator/ Upper Divisional Assistant, Accountant and Junior Assistant

17. (1) The promotion shall be made on the basis of given measurement through selection committee constituted according the provisions of the Uttarakhand Constitution of Departmental Promotions Committee (for Posts Outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2002 as amended from time to time :

Provided that if in the such constituted selection committee, the concerning person of each of Schedule Castes/ Schedule Tribes and Other Backward Classes in not incorporate, than such Castes or Tribes and Classes, who have not representation in the selection committee, from any concerning officer, who is not less than the rank of Joint Secretary shall be nominated as member of the selection committee.

- (2) The provisions for promotion in the posts of the Uttarakhand Government Servants (Criterion for Recruitment by Promotion) Rules, 2004 shall be applicable.
- (3) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates and place it before the selection committee alongwith there character roles and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.
- (4) The selection committee shall consider the candidate on the basis of there records refer to in sub-rule (3), and if it considers necessary, it may interview the candidates also.
- (5) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in ordered of seniority and forward the same to the Appointing Authority :

Provided that under the sub-rule (1) or under this rule on the time of preparation of eligibility list, where shall be two different feeding cadre, there shall be :--

- (a) regarding different pay scale, the candidate of higher pay scale shall be placed higher in the eligibility list;
- (b) regarding equal pay scale, the candidate shall be placed in order of date of substantive appointment in his cadre.

Note:- The Provisions for Promotion (Outside the Purview of Public Service Commission) the Uttarakhand Constitution of Departmental Promotion Committee on the Basis of Seniority and Merit Subject to the Rejection of Unfit in the Government Services Procedure Rules, 2009 shall be applicable.

Part-VI

Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

- | | | |
|-----------------------------|------------|--|
| Joint Selection List | 18 | <p>There will be following members in Joint Selection List:-</p> <p>(One) appointing authority - President</p> <p>(Two) any officer of Scheduled Castes or of the Schedules Tribes, nominated by the appointing authority. - Member</p> <p>(Three) any officer of Other Backward Classes nominated by the appointing authority. - Member</p> <p>(Four) any member having sufficient knowledge in the field of eligibility expected from the post to be filled - Member</p> |
| Appointment | 19. | <p>(1) Subject to the provision of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16, 17 or 18, as the case may be.</p> <p>(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selection are made from both the sources and according rule- rule (3), till a combined list is not prepared in accordance with rule 18.</p> <p>(3) If more than one order of appointment is issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be as it stood in the cadre from which they are promoted.</p> |
| Probation | 20. | <p>(1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.</p> <p>(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which it is extended :</p> <p style="text-align: center;">Provided that except in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year, and in no circumstances beyond two years.</p> |

- (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services be dispensed with.
- (4) A probationer person, who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.
- (5) The appointing authority may allow continuous service rendered in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for purpose of computing the period of probation.

Confirmation

21.

Subject to the provision of a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his period of probation, if :-

- (a) His work and conduct is reported to be satisfactory;
- (b) His integrity is certified; and
- (c) The appointing authority is satisfied that he is otherwise fit to be confirmed;
- (d) he has passed the prescribed departmental examination, if any.

Seniority

22.

- (1) The seniority of any person shall be fixed according the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules, 2002. If two or more persons to be appoint together then the Seniority shall be fixed as there name is serialized in his appointment orders :

Provided that if the appointment order specifies as particular back date with effect from which a person is to be appointed substantively that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment. In other cases it will mean the date of issue of the order :

Provided further that if more than one order of appointment is issued in respect of any one selection the seniority shall be as mentioned in the combined order of appointment issued under sub-rule (3) or rule 18.

- (2) The seniority *inter se* of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be same as determined by the Commission or selection committee, as the case may be.

Provided that candidate recruitment directly may lose his seniority if he fails to join without valid reason when vacancy is offered to him.

- (3) The seniority *inter se* of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.
- (4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the sources is prescribed, the *inter se* seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with rule 18, in such manner that the prescribed percentage is maintained :

Provided that—

- (i) where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, from seniority, to subsequent year of years in which there are vacancies in accordance with the quota;
- (ii) where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees;
- (iii) where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rules or procedure be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies quota.

Part - VII

Pay etc.

- Pay scale** 23. (1) The scales of pay admissible to persons appointed in different classes to the post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given as **Appendix "B"**.

- Pay during Probation** 24. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rule to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years of service when he has completed the probationary period and he has been confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (2) The pay during probation of persons, who has already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules.
- (3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to the Government servant generally serving in connection with the affairs of the State.

Part- VIII

Other Provisions

- Canvassing** 25. No recommendation, either written or oral other than those required under the rules applicable to the post or service, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

- Regulation of Other Matters** 26. In regard to matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and others applicable generally to Government servants, serving in connection with the affairs of the State.

- | | | |
|---|------------|---|
| Transfer | 27. | The appointing authority may transfer as necessity in the area/districts in his under the control. |
| Relaxation in the Conditions of Services | 28. | Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service cause undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner; |
| Saving | 29. | Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard. |

Appendix "A"

S. No.	Designation	Number of Posts
1	2	3
1	Personal Secretary	01
2	Personal Assistant	02
3	Administrative Officer	01
4	Accountant	01
5	Senior Assistant	01
6	Assistant Accountant	01
7	Stenographer	01
8	Upper Assistant	01
9	Junior Assistant	02
	Total	11

District Forum

S. No.	Designation	Number of Posts
1	Computer Operator/ Upper Assistant	13
2	Stenographer	13
3	Junior Assistant	13
	Total	39

Appendix "B"

[See sub-rule (2) of rule 4 and sub-rule (2) of rule 23]

State Commission

S. No.	Designation	Number of Posts	Pay Scale (in T)
1	2	3	4
1	Personal Secretary	01	9300-34800-4200
2	Personal Assistant	02	9300-34800-4200
3	Administrative Officer	01	9300-34800-4200
4	Accountant	01	9300-34800-4200
5	Senior Assistant	01	5200-20200-2800
6	Assistant Accountant	01	5200-20200-2800
7	Stenographer	01	5200-20200-2400
8	Upper Assistant	01	5200-20200-2400
9	Junior Assistant	01	5200-20200-1900

District Forum

S. No.	Designation	Number of Posts	Pay Scale (in T)
1	Computer Operator/ Upper Assistant	13	5200-20200-2400
2	Stenographer	13	5200-20200-2400
3	Junior Assistant	13	5200-20200-1900

By Order,
SUBARDHAN
Secretary.